



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Website-www.sciencecollegebilaspur.ac.in

E-mail – pr.sc.college@gmail.com

क्रमांक / 415 / कैटीन / 2026

बिलासपुर, दिनांक 15/07/26

कैटीन संचालन हेतु भाव पत्र हेतु
आमंत्रण सूचना

शैक्षणिक सत्र 2026-27 अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में कैटीन संचालित करने हेतु इच्छुक एवं अनुभवी आवेदकों से दिनांक – 31.07.2026 के कार्यालयीन अवधि तक निम्नालिखित सामग्रियों का भाव पत्र अनिवार्य दस्तावेज/प्रमाण-पत्र सहित आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित अवधि में पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदन ही मान्य होगा।

क्र	खाद्य सामाग्री का नाम	मात्रा/वजन/तादाद	मूल्य
1	चाय	प्रति कप 75 मि.ली.	
2	काफी	प्रति कप 75 मि.ली.	
3	आलू बड़ा	प्रति नग 75 ग्राम	
4	भाजी बड़ा	प्रति नग 75 ग्राम	
5	कचोरी	प्रति नग 75 ग्राम	
6	इडली (सांभर एवं चटनी सहित)	02 नग प्रति नग वजन 60 ग्राम	
7	पोहा	प्रति प्लेट 150ग्राम	
8	भजिया	प्रति प्लेट 100ग्राम	
9	जलेबी	प्रति प्लेट 100ग्राम	
10	मुंगौड़ी	प्रति प्लेट 100ग्राम	
11	बूंदी का लड्डू	प्रति नग 60ग्राम	
12	मगज का लड्डू	प्रति नग 60ग्राम	
13	गुलाब जामून	प्रति नग 80ग्राम	
14	लरसी/छाछ	प्रति ग्लास 200ग्राम	
15	रसगुल्ला	प्रति नग 80ग्राम	
16	छोले भटुरे	एक प्लेट दो भटुरे एवं छोले	
17	दोसा सांभर एवं चटनी	प्रति नग 200ग्राम	
18	दही बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम	
19	सांभर बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम एवं सांभर 60 ग्राम	
20	समोसा	एक प्लेट 150 ग्राम	
21	समोसा सहित मटर	एक प्लेट 150 ग्राम	
22	पानी बॉटल	प्रति क्रमशः 1 लीटर 500 मि.ली., 200 मि.ली.	

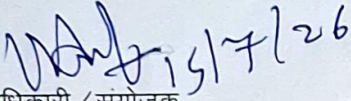
आवेदक द्वारा उक्त विज्ञापन के संदर्भ में प्राचार्य को संबोधित आवेदन में प्रेषित भाव पत्र के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण –पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1. एफ.एस.एस.आई (FSSAI) फुड लाइसेंस की छायाप्रति (लाइसेंस स्वयं के अथवा परिवार के सदस्य के नाम हो)
2. आधारकार्ड, पैनकार्ड की छायाप्रति।
3. कैटीन संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र।
4. न्यायालयीन प्रकरण एवं आपराधिक प्रकरण न होने तथा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने का शपथ पत्र (नोटराइज्ड)।

PRINCIPAL

न्यूनतम भाव पत्र स्वीकृति के उपरान्त कैटीन संचालित करने वाले व्यवसायी द्वारा निम्न शर्तें मान्य किया जाना अनिवार्य होगा—

1. रू. 50.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र तैयार किया जाना।
2. प्रतिभूति राशि 5000.00 (पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना।
3. विद्युत व्यवस्था हेतु अलग से मीटर लगाना होगा तथा विद्युत उर्जा व्यय भार वहन करना।
4. कैटीन संचालन प्रातः 9:30 बजे से सांय 5:30 बजे तक किया जाना तथा अवकाश दिवस में पूर्णतः बंद रखना होगा।
5. तम्बाखू युक्त या किसी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
6. बाल श्रमिक द्वारा कार्य लिया जाना तथा बाहरी ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
7. शुद्ध पेय जल की व्यवस्था एवं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना होगा तथा प्लास्टिक कप, प्लेट आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
8. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं होने अथवा कैटीन संचालन से परिसर में अनुशासन प्रभावित होने की स्थिति में कैटीन संचालन बंद करने का आदेश मान्य करना होगा।


प्रभारी अधिकारी/संयोजक
कैन्टीन संचालन समिति

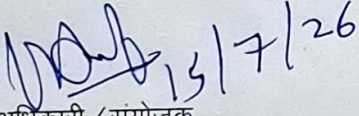

Principal
शासकीय ई. एम. ए. महाविद्यालय
बिलासपुर छा.ग.
Bilaspur (C.G.)

पृ.क्रमांक /416/कैटीन/2026

बिलासपुर, दिनांक 15/7/26

प्रतिलिपि —

1. महाविद्यालय की वेबसाईट प्रकाशन एवं महाविद्यालय परिसर के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
2. शास. जे. पी. वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर छा.ग.
3. शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छा.ग.
4. शास. शबरी मातानवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर छा.ग.
5. डी. पी. विप्र. पी. जी. महाविद्यालय बिलासपुर, छा.ग. ।
6. सी. एम. डी. महाविद्यालय बिलासपुर छा.ग. ।
7. कार्यालय प्रति ।


प्रभारी अधिकारी/संयोजक
कैन्टीन संचालन समिति


Principal
शासकीय ई. एम. ए. महाविद्यालय
बिलासपुर छा.ग.
Bilaspur (C.G.)